भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1379
गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

कुल कार्य बल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी

1379. श्री संजय सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कुल कार्य बल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 10 प्रतिशत से कम है जबकि पुरुषों की भागीदारी दर 67 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सीएमआईई) द्वारा जारी रिपोर्ट की जानकारी है, जिसके अनुसार मार्च 2022 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर केवल 9.92 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की भागीदारी दर 67.24 प्रतिशत थी;

(ग) यदि हाँ, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की खराब स्थिति के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सुधारों के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। के रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से है। पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर ग्रामीण महिलाओं की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2020-21 के दौरान 35.8% और ग्रामीण पुरुषों की 75.1% थी।

इसके साथ-साथ, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति पर अनुमानित ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2020-21 के दौरान 36.5% और ग्रामीण पुरुषों के लिए 78.1% थी।

कुछ अध्ययन दर्शाते है कि अधिकांश महिलाएं काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में योगदान करती हैं, उनके अधिकांश कार्यों का दस्तावेजीकरण या इन्हें आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है और इस प्रकार महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है। हालांकि, दिनांक 12.07.2022 को, स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के कुल पंजीकरण में से 52.84% महिलाएं हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेकों सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान नियोक्ता द्वारा, मजदूरी से संबंधित मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ रोजगार प्रदान करने के मामले में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्यों के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध न हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****